राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.12(01)नविवि/चन्दपुरा (सीकर)/2025 जयपुर, दिनांकः यथा ई–हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्व ग्राम चन्दपुरा के खसरा नम्बर 1194/529 रकबा 15.1261 है. एवं खसरा नम्बर 1193/529 रकबा 1.20 है. में आवासीय योजना सृजित किये जाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 32 (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 30.05.2025 के राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 06 माह तक प्रभावशील होने के कारण समयावधि दिनांक 23.01.2026 को पूर्ण हो चुकी है ।

अतः उक्त जारी अधिसूचना की 6 माह की अवधि समाप्त हो जाने के कारण राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 32 (1) की अवधि एतद्द्वारा 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, सीकर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर।
8. अतिरिक्त निदेशक/प्रोग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
शासन उप सचिव–प्रथम
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.03.19 10:26:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21138239